<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-7, फैजाबाद/अयोध्या।</u>

सत्र परीक्षण वाद सं०- 42/2023
सरकार बनाम संतोष तिवारी आदि
मु०अ०सं०- 129/2022
धारा- 147,323,504,506,342,364 भा०द०सं०
थाना- को० बीकापुर,
जिला- अयोध्या।

<u>दिनांक: 05.12.2023</u>

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर अभियुक्तगण संतोष तिवारी, अञ्जू तिवारी व अजय तिवारी उपस्थित है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, (फौजदारी) भी उपस्थित है।

आरोप के बिन्दु पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, (फौजदारी) व अभियुक्तगण उपरोक्त के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना गया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, (फौजदारी) द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्यों को विस्तार से बताया गया, जिसके आधार पर अभियुक्तगण संतोष तिवारी, अञ्जू तिवारी व अजय तिवारी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 147, 323, 504, 506, 342, 364 का आरोप प्रथम दृष्टया बनना प्रतीत होता है तथा अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध उक्त धारा के तहत आरोप बनाये जाने योग्य है।

अतः अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किया जाये।

दिनाँक: 05.12.2023

(अनिल कुमार वर्मा–II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं० 7, फैजाबाद/अयोध्या।

अभियुक्तगण संतोष तिवारी, अञ्जू तिवारी व अजय तिवारी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 323, 504, 506, 342, 364 का आरोप विरचित किया गया। उन्हें आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने उक्त आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की माँग की।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनाँक 21.12.23 को पेश हो। साक्षीगण समन से तलब हों।

दिनाँक: 05.12.2023

(अनिल कुमार वर्मा–II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं० 7, फैजाबाद/अयोध्या।